

**उपनिदेशक (क्षेत्रीय)**


अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर  
स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

**विषय:—इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में संविदा कर्मियों की भर्ती के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 अन्तर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में विभागीय पूर्व आदेशों के क्रम में योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय में संविदा कर्मियों यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक लगाने के निर्देश जारी किये गये थे। जिसकी पालना में कई नगरीय निकायों में इनका पदस्थापन किया जा चुका है। शेष रही नगरीय निकायों में आदिनांक तक योजना से सम्बन्धित कार्य करने हेतु संविदा कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। जिसके कारण योजना का कार्य बाधित हो रहा है। उक्त संविदा नियुक्तियों से सम्बन्धित वस्तुस्थिति निम्न वर्णित प्रपत्र अनुसार सूचना निदेशालय में वाछित है:-

संविदा कर्मिकों के भर्ती स्थिति																		
क्र.सं.	संभाग	जिला	नगरीय निकाय	स्वीकृत पदों की संख्या					भरे गये पदों की संख्या					रिक्त पदों की संख्या				
				क. तक. सहायक	लेखा सहायक	एम आई एस मैनेजर	शहरी रोजगार सहायक	योग	क. तक. सहायक	लेखा सहायक	एम आई एस मैनेजर	शहरी रोजगार सहायक	योग	क. तक. सहायक	लेखा सहायक	एम आई एस मैनेजर	शहरी रोजगार सहायक	योग

अतः उक्त प्रपत्र के अनुसार सूचना आपके संभाग की नगरीय निकायों से एकत्रित कर निदेशालय के इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ को जरिये ई-मेल **IRGYURBAN.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN** पर तीन (03) दिवस में भिजवाने का श्रम करावें।

  
(भूपेन्द्र माथुर)


परियोजना निदेशक, (IRGY)

दिनांक : 10/02/2023

क्रमांक:56एफ.(क)0सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23/1501-1743

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, भर्ती बोर्ड, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
5. सुरक्षित पत्रावली।

  
परियोजना निदेशक, (IRGY)  
निदेशालय जयपुर